न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 128/2017/डिक्री

1. कालुलाल पिता गिरधारी माली
2. भगवती पिता गिरधारी माली
3. राजु पिता गिरधारी माली
4. संतोष पुत्री गिरधारी माली
5. जमना पुत्री गिरधारी माली
6. उदी पुत्री गिरधारी माली
7. राधा बेवा गिरधारी माली
8. उदयलाल पिता मुलचंद माली
9. रतनलाल पिता मुलचंद माली
10. सोहनी पुत्री मुलचंद माली
11. मोहिनी पुत्री मुलचंद माली
12. सुखी बेवा मुलचंद माली
13. पन्नालाल पिता डुंगा माली
14. मांगीलाल पिता डुगा माली
15. माणी पुत्री अमरा माली
16 नारायण पुत्री अमरा माली
17. कंकु पुत्री अमरा माली
18. सोहिनी पुत्री अमरा माली

सभी निवासी नाडोलिया माली मोहल्ला बुन्दी रोड चित्तौडगगढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. रतनलाल पिता चुन्नीलाल उर्फ चुना माली
2. मांगीलाल पिता चुन्नीलाल उर्फ चुना माली
3. नन्दु बेवा मांगी लाल माली
4. गणेश पिता चुन्नीलाल उर्फ चुना माली
5. नानी बाई पुत्री चुन्नीलाल उर्फ चुना माली
6. फुम्बी बाई पुत्री चुन्नीलाल उर्फ चुना माली
7. रामलाल पिता चुन्नीलाल उर्फ चुना माली
8. श्यामलाल पिता चुन्नीलाल उर्फ चुना माली

सभी निवासी माल की चोगावडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

9. मदनलाल पिता डूंगा माली
10. मांगीलाल पिता भंवरलाल माली
11. मदनलाल पिता भंवरलाल माली
12. किशनलाल पिता भंवरलाल माली
13. राजु पुत्री भंवरलाल माली

14. बदाम पुत्री भंवरलाल माली
15. सुखी बेवा भंवरलाल माली
    सभी निवासी नाडोलिया माली मोहल्ला बुन्दी रोड चित्तौडगगढ़
16. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 01/06/2017 प्रकरण संख्या 173/2015

उपस्थित — 1. श्री सोहनलाल जणवा — अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री राकेशपुरी गोस्वामी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट—1, 2, 4,10, 11, 12

निर्णय दिनांक — 28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी मौजा ग्राम माल की चौगावडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की खसरा नम्बर 710 रकबा 0.24 है0 ल. 2. 64 711 रकबा 0.04 है0, ल. 0.10, 712 रकबा 0.40 है0, ले. 4.40, 714 रकबा 0.02 है0, 715 रकबा 0.19 है0 ल. 0.47, 716 रकबा 0.93 है0 ल. 10.23 717 रकबा 0.84 है0, ल. 2.10 कुल रकबा 2.66 है0, लगानी 19.94 है। उक्त आराजी नन्दा के पुत्र अमरा व डुंगा ने क्रय की थी इसी आधार पर नामान्तकरण इनके नाम पर खुला, दोनो की मृत्योपरान्त डुंगा के वारिसान के नाम 1/2 एवं अमराजी के वारिसान के नाम 1/2 नामान्तकरण खुल चुका है तथा अमरा व डुंगा के वारिसान उक्त जमीन पर करीब 60 वर्षो से कब्जा काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग कर रहे है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का उक्त भूमि मे किसी प्रकार से 1/3 हिस्सा नही बनता है। अधीनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 ने न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छुपाकर वाद पत्र पेश किया था उक्त भूमि डुंगा अमरा पिता नन्दा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी थी, उक्त जमीन पुश्तैनी न होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीदी गई थी। डुंगा व अमरा ने अपने जीवन काल मे उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया व उनकी मृत्यु के बाद उनके वैध वारिसान के नाम पर उक्त भूमि का नामान्तकरण हुआ, उसके बाद डुंगा व अमरा के वारिसान काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते रहे है।

2. वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 तक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड एवं सहायक कलेक्टर चित्तौड़गढ मे वाद पेश किया गया एवं वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण/अपीलान्ट को सम्मन नोटिस मय वाद पत्र की प्रति के साथ जारी करने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया था आगामी पेशी दिनांक 28/10/2015 को नियत की गई थी तथा उसके बाद दिनांक 18/05/2016 तक पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने से कोई सम्मन नोटिस जारी करने की कार्यवाही नही की गई। दिनांक 01/07/2016 को पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर मे प्रस्तुत की गई जिसमे कमिश्नर रिपोर्ट का आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 21/07/2016 की तारीख नियत की गई। दिनांक 21/07/2016 से दिनांक 24/01/2017 तक पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त होने से दिनांक 01/06/2017 को नियत की गई थी। लेकिन उक्त दिनांक तक प्रतिवादीगणो को सम्मन नोटिस जारी नही किये तथा विधिवत रूप से तामील भी नही करवाई गई। दिनांक 01/06/2017 को उक्त पत्रावली उन्हे राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडोदिया मे अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति मे निर्णित कर दी गई जो अपीलान्टस की अनुपस्थिति मे पारित की गई थी। फलतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री अपास्त की जावे साथ ही आर्डरशीट व बहनामा कॉपी एवं दस्तावेजो को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के तहत उक्त आराजीयात अपीलान्टगण की पिता द्वारा खरीदने का दस्तावेज पंजीकृत बहनामा प्रस्तुत किया जिसको रिकार्ड पर लिया जाता है।

3. दिनांक 18/01/2018 को इस अपील मे बहस सुनी गई तथा पत्रावली निर्णय मे रखी गई। इसी दौरान वकील अपीलान्ट ने अवगत कराया कि उनके द्वारा दिनांक 12/07/2017 आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका निर्णय होना शेष है। जिस पर दिनांक 15/02/2018 को बहस सुनी गई एवं वकील रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार की आपत्ति नही होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये। तत्पश्चात् वकील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 06/02/2018 को पुनः बहस हेतु भी अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे भी आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र का उल्लेख है। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के साथ ही प्रकरण मे पुनः बहस सुनी गई।

4. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि राजस्व ग्राम माल की चौगावडी के कुल किता 7 रकबा 2.66 है0 भूमि को लेकर यह प्रकरण विचाराधीन है। यह भूमि अमरा, डूंगा पुत्रगण नन्दलाल उर्फ नन्दा की है यह भूमि दिनांक 16/06/1956 को जरिये रजिस्ट्री 1/2 –1/2 हिस्से क्रय की गई है। तभी से अपीलार्थी अलग–अलग काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस भूमि पर रेस्पेडेन्ट का कोई क्लेम नही बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक बिन्दूओ को ध्यान मे रखे बिना निर्णय पारित किया गया है जिसके कारण उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

5. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि नन्दा पुत्र ऊंकार माली श्री गणेश का शिकमीकाश्तकार रहा। पारिवारिक इकरारनामा दिनांक 12/01/1982 के आधार पर रेस्पोडेन्ट 1/3 हिस्से पर काबिज है। इस सम्बन्ध मे उपखण्ड अधिकारी द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट मंगाई गई जो दिनांक 01/06/2017 को प्राप्त हुई उसमे भी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज माना है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पिता ने अपने जीवनकाल मे तीनो भाईयो को 1/3 – 1/3 हिस्से पर पारिवारिक इकरारनामे के आधर पर काबिज करवाया दिया था। हालांकि यदि निर्विवाद है कि भूमि की रजिस्ट्री दो भाईयो के नाम ही है। इसी प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 9 से 15 प्रतिवादी थे उनको भी अपीलान्ट ने अपील करने हेतु कहा लेकिन उन्होने अपील नही की और हमारा कब्जा माना। कमिश्नर रिपोर्ट दोनो पक्षो की उपस्थिति मे तैयार की गई है परन्तु अपीलान्ट ने दस्तखत नही किये है। इसी वजह से अपीलान्ट जानकारी होने के कारण इतनी जल्दी अपील मे आ गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे कमिश्नर रिपोर्ट एवं पारिवारिक सेटलमेन्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारिवारिक इकरारनामा दिनांक 12/01/1982 के आधार पर प्राप्त कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 01/06/2017 को आधार मानकर 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज होने के आधार पर निर्णय पारित किया गया। जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नही पाया

जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 173/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 01/06/2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़